Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 35-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 29, 2017 (BHADRA 6, 1939 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 अगस्त, 2017

संख्या SCPC/2017/16284.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 68), की धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2004 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2017 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2004 जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है, में नियम 12 में उपनियम (1) तथा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"12 (1) अधिनियम की धारा 7 उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद निम्नलिखित 35 से अनधिक सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों से मिलकर बनेगी":–

सरकारी सदस्यः–

(क) मुख्यमंत्री या कार्यभारी मंत्री, खाद्य तथा पूर्ति विभाग, जैसी भी स्थिति हो, राज्य परिषद का अध्यक्ष होगा;

(ख) कार्यभारी मंत्री, खाद्य तथा पूर्ति विभाग से संलग्न राज्य मंत्री या उपमंत्री अथवा प्रशासनिक सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जैसी भी स्थिति हो, राज्य परिषद का उपाध्यक्ष होगा;

(ग) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग;

(घ) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले;

(ड.) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में पांच सरकारी सदस्य अपने–अपने राज्यों में उनके क्षेत्रीय कार्यालयों की उपलब्धता के अध्यधीन निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों में से किसी से चुने जा सकते हैः

1. भारतीय मानक ब्यूरो/भारतीय खाद्य निगम
2. दूरसंचार
3. परिवहन (रेलवे/सिविल विमानन/पाते परिवहन)
4. स्वास्थ्य
5. ग्रामीण विकास
6. विद्युत

7. लोक निर्माण
8. शिक्षा
9. सामाजिक न्याय
10. सूचना और प्रसारण (क्षेत्रीय प्रचार/विविध भारती/दूरदर्शन/विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय)
11. कृषि
12. पंचायत राज
13. वन एंव पर्यावरण
14. शहरी विकास
15. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(च) सरकारी या गैर–सरकारी सदस्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए;

(छ) महानिदेशक/निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा, जैसी भी स्थिति हो, राज्य परिषद का सदस्य–सचिव होगा;

गैर–सरकारी सदस्यः–

(क) प्रत्येक जिले से एक व्यष्टिक व्यक्ति या किसी गैर सरकारी संगठन का एक सदस्य या गैर–सरकारी सदस्य जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उपभोक्ता संगठनों या उपभोक्ता कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता हो। उपभोक्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक–

(i) संगठन पिछले पांच वर्ष के लिए सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1980 का 21) या समरूप अधिनियम के अधीन पंजीकृत नही किया गया हो;

(ii) संगठन पिछले तीन वर्ष के लिए उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में सक्रिय नहीं रहा हो;

(iii) पंजीकृत कार्यालय और पता नही रखता हो;

(iv) संगठन का निम्नलिखित के माध्यम से पर्याप्त योगदान नही रखता होः–

(1) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए लक्षित जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते रहे हो;

(2) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उत्पादों के परीक्षण के संचालन और सेवा में लगे हुए होना;

(3) क्लास एक्शन सूट या अन्यथा से उपभोक्ता मंच में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने में लगे होना;

(4) उपभोक्ता उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता वकालत के माध्यम से उपभोक्ता संचालन को समर्थ बनाने वाले;

(5) उपभोक्ता वकालत का नेतृत्व करने वाले जिसके परिणामस्वरूप संघात/नीति में परिर्वतन दृष्टिगोचर हो;

(6) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साहित्य/शोध पत्र/दस्तावेजी उपभोक्ता विधि और सर्वोतम व्यवसायों/प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रतिपादन करने वाला हो;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, सामाजिक कार्य, लोक कल्याण, गृह–स्वामिनियां इत्यादि से महिलाओं के प्रतिनिधि जो तीन से अधिक न हो; तथा;

(ग) एक व्यैक्तिक उपभोक्ता कार्यकता जोः–

(1) पिछले पांच वर्षों के दौरान उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के बारे में समझाने के लिए एक ट्रैक रिकार्ड है जिन्होनें समाज और उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले विभिन्न विषयों पर उपभोक्ता वकालत के रूप दृश्य प्रभाव के लिए प्रेरित किया और परिणामस्वरूप नीति में परिवर्तन ला सके।

(2) उपभोक्ता विधि और व्यवसाय से पूरी तरह से परिचित हो।

(2) राज्य परिषद की हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी। परिषद उपभोक्ताओं के प्रभावशाली स्थानीय विषयों को उठाएगा और केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के माध्यम से उपायों में परिवर्तनों का भी प्रस्ताव कर सकती है।

(3) उक्त नियमों में, नियम 12 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः–

12" (क) सदस्य की अयोग्यताएँः–

सदस्य निम्नलिखित अयोग्यताओं में से किसी एक के होने पर अयोग्य होगे।ः–

(i) राजनीतिक संबद्धता;

(ii) आपराधिक गतिविधियों के लिए आरोपित या दोषसिद्ध किया गया हो;

(iii) गैर–जिम्मेदाराना और उपभोक्ता प्रतिकूल व्यवहार;

(iv) विधि विरूद्ध गतिविधियों में लगा हो;

(v) चिकित्सक दृष्टा अयोग्य हो;

(vi) उपभोक्ता विधि और विषयों का कम ज्ञान होना;

(vii) परिषद की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो;"।

(4) उक्त नियमों में, नियम 13 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

"(1) गैर–सरकारी सदस्यों की पदावधि उनके कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्ष की होगी जबकि सरकारी सदस्य, स्थायी रूप में रहेंगे।"

एस.एस.प्रसाद,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
दिनांक 21.06.2017. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

Notification

The 16th August, 2017

No. SCPC/2017/16284.— In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 30 of the Consumer Protection Act,1986(Act 68 of 1986), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Consumer Protection Rules,2004, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Consumer Protection (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Consumer Protection Rules 2004, (herein after called the said rules) in rule 12 for sub-rule (1), and sub-rule(2) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"The State Consumer Protection Council established under sub-section (1) of section 7 of the Act shall consist of the following official and non-official members not exceeding 35, namely:-

Official Members:

(a) The Chief Minister or Minister-In-charge of Food and Supplies, as the case may be, shall be the Chairman of the State Council;

(b) Minister of State or Deputy Minister attached with Minister In-charge of Food and Supplies or the Secretary of the Department, as the case may be, shall be the Vice-Chairman of the State Council;

(c) The President of the State Consumer Disputes Redressal Commission;

(d) Administrative Secretary of Food and Supplies Department;

(e) Five official members from any of the following Ministries/Departments subject to the availability of their field offices in the respective States;

- (i) Bureau of Indian Standards/Food Corporation of India
- (ii) Telecom
- (iii) Transport (Railways/Civil Aviation/ Shipping)
- (iv) Health
- (v) Rural Development
- (vi) Power
- (vii) Public Works
- (viii) Education
- (ix) Social Justice
- (x) Information and Broadcasting (Field Publicity/All India Radio/Doordarshan/Directorate of Advertising and Visual Publicity)
- (xi) Agriculture
- (xii) Panchayt Raj
- (xiii) Forest and Environment
- (xiv) Urben Development
- (xv) Science and Technology;

(f) One official or non-official member, as may be nominated by the Central Government ;and

(g) Director or Director General of the Food and Supplies Department, shall be the Member-Secretary of the State Council;

Non- Official Members:-

(a) **One individual person** or one member of any Non Governmental Organization from **each district** or non-official member representing consumer organizations or consumer activists in their individual capacity. No Individual representing Consumer Organizations shall be eligible to be nominated as member unless;-

(i) the organization have been registered under the Societies Registration Act 1860 or under similar Act for last five years;

(ii) the organization have been active in the consumer welfare activities for last three years;

(iii) the organization have a registered Office and address;

(iv) the organization should have contributed substantially by way of ,

(1) awareness programmes targeting rural consumers;

(2) being engaged in conducting testing of products and service meant to benefit consumers;

(3) being engaged in representing consumers in the Consumer Fora in class action suits or otherwise;

(4) having strengthened consumer movement through consumer advocacy of consumer causes;

(5) having led Consumer advocacy which resulted in visible impact/policy changes;

(6) having produced literature/research papers/documented consumer law and best practices/ presented papers in national or international for a;

(b) Representatives of women not exceeding **three** from various fields such as education, social work, public welfare, house wives etc; and

(c) One Individual Consumer activist who;

(1) has a convincing track record on consumer welfare activities during last five years which has led to a visible impact on the society and consumers as a whole or consumer advocacy on various issues affecting consumers were taken up and resulted in policy changes;

(2) is fully conversant with consumer law and practice.

(2) "The State Council shall meet at least **once** in every quarter. The State Council shall take up local issues effecting consumers and may also propose changes in consumer protection measures through Central Consumer Protection Council".

3. In the said rules, after rule 12, the following rule shall be inserted, namely;-

"12A Disqualification of members;-

Any of the following conditions may disqualify Member.

(i) political affiliation;

(ii) charge sheeted or convicted for criminal activities;

(iii) irresponsible and consumer unfriendly behavior;

(iv) engaged in unlawful activities;

(v) medically unfit;

(vi) poor knowledge or consumer law and issues;

(vii) absent for two consecutive meetings of the council;

4. In the said rules, in rule 13, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely;-

The tenure of the non-official members shall be three years from the date of its constitution whereas the official members shall remain permanently.

S.S.PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department.

Chandigarh:
The 21-06-2017.

55527—C.S.—H.G.P., Chd.